निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 ज्येष्ठ 1936 (श0)

(सं0 पटना 484) पटना, मंगलवार, 3 जून 2014

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद

अधिसूचना

3 मार्च 2014

सं0 2263—कबीर पंथी मठ, विदुपुर, अंचल–विदुपुर, जिला–वैशाली पर्षद के अंतर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन संख्या–3339 है।

इस न्यास के न्यासधारी महंत राम दयाल दास थे। पर्षद को इनके विरूद्ध भू–सम्पदा के अवैध अन्तरण एवं आय के बड़े पैमाने पर दुरूपयोग एवं दुर्विनियोग के आरोप प्राप्त हुए थे जिसपर अधिनियम कि धारा–28 (2) (ज) (iii) (v) (vi) के तहत पर्षद द्वारा समय–समय पर इन्हें कारण पृच्छा की नोटिस भेजी गई थी। उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब भ्रामक अधारहीन एवं असंतोषप्रद पाते हुए बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम की धारा 28 (2) (ज) (iii) (v) (vi) के तहत पर्षदीय आदेश ज्ञापांक–451 दिनांक 13.06.12 द्वारा इन्हें न्यासधारी के पद से अपसारित किया गया। तत्पश्चात पर्षद द्वारा इस न्यास की सुव्यवस्था एवं विकास के लिए पर्षदीय ज्ञापांक 451 दिनांक 13.06.12 द्वारा अंचलाधिकारी विदुपुर, जिला–वैशाली को धारा–33 तहत अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए अस्थायी न्यासधारी नियुक्त किया गया, जिसकी कार्यावधि समाप्त हो गयी।

उपर्युक्त परिस्थितियों में इस न्यास की सुव्यवस्था एवं सम्यक संचालन हेतु न्यास समिति के गठन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, पर्षदीय पत्रांक 1633 दिनांक 16.12.2013 द्वारा अंचलाधिकारी विदुपुर से न्यास समिति के गठन हेतु सदस्यों का नाम चयन कर भेजने का अनुरोध किया गया। अंचलाधिकारी विदुपुर से पत्रांक–40 दिनांक 18.01.2014 द्वारा न्यास समिति के सदस्यों का नाम उनकी अनुशंसा सहित प्राप्त हुआ है।

अतः बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा–32 में बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद् को प्रदत्त अधिकार जो उपविधि सं0–43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए कबीर पंथी मठ, विदुपुर, अंचल–विदुपुर, जिला–वैशाली की सम्पत्तियों की सुरक्षा, संरक्षण तथा सुप्रबंधन हेतु नीचे लिखे योजना का निरूपण किया जाता है तथा इसे मूर्त्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति गठित की जाती है।

योजना

1. अधिनियम की धारा–32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम ''कबीर पंथी मठ, विदुपुर, न्यास योजना'' होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम **''कबीर पंथी मठ, विदुपुर, न्यास समिति होगी''** जिसमें न्यास की समग्र चल–अचल सम्पत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।

2. इस न्यास समिति का मुख्य कर्त्तव्य न्यास की सम्पत्ति की सुरक्षा एवं सुसंचालन तथा मठ की परम्परा एवं आचारों का समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करना होगा।

3. इस न्यास समिति का यह दायित्व होगा कि वह न्यास कि अवैध रूप से बिक्री की गई भूमि कि वापसी हेतु समुचित कार्रवाई शीघ्र प्रारंम्भ करेगी।

4. न्यास की समस्त आय न्यास के नाम किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा सचिव और कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से इसका संचालन होगा।

5. न्यास की आय–व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगी।

6. न्यास समिति अधिनियम एवं उप–विधि में वर्णित सभी नियमों का पालन करते हुए प्रतिवर्ष न्यास के आय–व्यय की विवरणी, अंकेक्षण प्रतिवेदन, कार्य वृत आदि सम्यक रूप से पर्षद् को प्रेषित करेगी।

7. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहूत करेंगे। न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवश्य बुलायी जायेगी और बैठक की कार्यवृत पर्षद् को प्रेषित की जायेगी।

8. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवश्यक समझा जायेगा तो इस हेतु निर्धारित विशेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद् को अनुमोदन के लिए भेजेगी।

9. न्यास समिति न्यास की अतिक्रमित/हस्तांतरित भूमि की वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्रवाई करेगी।

10. इस योजना में परिर्वतन, परिबर्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद् में निहित होगा।

11. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास से लाभ उठाते पाए जायेंगे या न्यास हित के प्रतिकुल कार्य करेंगे तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी।

12. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप–पात्रित होंगे तो उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

13. न्यास समिति का प्रमुख दायित्व इस न्यास की मौजा निरन्दरपुर खरौनिया उर्फ पहाड़ी पटना सिटी स्थित भूखण्ड खाता नं0–2011 सर्वे प्लॉट नं0–1303 जिसे पूर्व न्यासधारी महंत रामदयाल दास द्वारा अवैध रूप से मोहम्मद जावेद एवं श्री संजय कुमार सिंह के पक्ष में आम मोख्तारनामा निबंधित कर बिक्री किया गया है, उसकी वापसी हेतु शीघ्र ठोस कार्रवाई सुनिश्चित करना होगा। इसके अतिरिक्त भी न्यास की अन्य अतिक्रमित/अवैध रूप से हस्तांरित भूमि की वापसी हेतु समिति ठोस कार्रवाई करेगी।

14. न्यास समिति द्वारा न्यास की अवैध रूप से हस्तांतरित एवं अतिक्रमित भूमि की न्यास में वापसी की कार्रवाई ही इसकी कार्य कुशलता का पैमाना होगा।

पर्षद् द्वारा निरूपित योजना को मूर्तरूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की न्यास समिति गठित की जाती है :–

(1) श्री दीपक कुमार, अंचल अधिकारी विदुपुर, जिला–वैशाली –अध्यक्ष
(2) श्री चन्दन कुमार, थानाध्यक्ष विदुपुर –सदस्य
(3) श्री रमेश दास पिता श्री निर्धन प्रसाद यादव, ग्राम–चकगढ़ो –सदस्य
(4) श्री शिवजी सिंह पिता स्व0 सक्कल सिंह, मुखिया, ग्राम–दाउदनगर –सदस्य
(5) महंत अरबिन्द दास, बालाटांड –सदस्य
(6) श्री आस्तानन्द यादव पिता श्री देवानन्द यादव, ग्राम–नया टोला, विदुपुर डीह –सदस्य
(7) श्री शिवबालक राय पिता स्व0 फकीर चन्द राय, ग्राम–विदुपुर डीह –सदस्य
(8) श्री रामबाबू सिंह पिता स्व0 गिरधारी सिंह, ग्राम–खिलवत –सदस्य
(9) श्री शत्रुधन प्रसाद सिंह पिता स्व0 रघुनी प्रसाद सिंह, ग्राम–विदुपुर डीह –सदस्य
(10) श्री सुरेन्द्र चौधरी पिता स्व0 बेचन चौधरी, मुखिया, ग्राम–मंझौली –सदस्य

इस न्यास समिति का कार्यकाल दिनांक 05.03.2014 से एक वर्ष का होगा। एक वर्ष के बाद इसके कार्यो की समीक्षा की जायेगी और संतोषप्रद पाये जाने पर कार्यकाल का विस्तार किया जायेगा। अध्यक्ष न्यास समिति की प्रथम बैठक बुलाकर समिति सदस्यों में से सचिव एवं कोषाध्यक्ष का चयन कर पर्षद को अनुमोदन के लिए भेजेंगे।

आदेश से,
किशोर कुणाल,
अध्यक्ष ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) **484**-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in